न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –115/2025 दायर दिनांक 18.08.2025 GCMS CASE NO-2025/133

विहालीलाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा
——अपीलांट

बनाम

1. बद्री प्रसाद पुत्र शंकरलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
2. प्रभुदयाल पुत्र शंकरलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
3. मदनलाल पुत्र शंकरलाल (फौत)

3/1 जीतराम पुत्र मदनलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
3/3 संजय पुत्र मदनलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
3/4 माया पुत्री मदनलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
3/5 सीमा पत्नी मदनलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
4. जयनारायण पुत्र सोहनलाल (फौत)
4/1 हनुमान पुत्र जयनारायण अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
4/2 मैना पुत्री जयनारायण अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
4/3 अनुराधा पुत्री जयनारायण अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
4/4 गुड्डी पत्नी जयनारायण अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
5 कृष्णलाल पुत्र सोहनलाल (फौत)
5/1 पूर्ण शर्मा पुत्र कृष्णलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
5/2 कमला पत्नी कृष्णलाल अवकाम ब्राहमण साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिल सिरसा हरियाणा
6. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

——रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धनवीर हुन्दल अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4/1, 4/4, 5/1, 5/2
2. पैरोकार राज. रेस्पोडेंट संख्या 6

–::निर्णय::– दिनांक : 19.11.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता सोहनलाल पुत्र मुकनाराम के नाम रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 398 में 8.853 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 बद्रीप्रसाद ने सोहनलाल की वसीयत दिनांक 20.08.1992 के आधार पर उक्त रकबा का 1/2 हिस्सा अपने पुत्रों अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 तथा 1/2 हिस्सा सोहनलाल के भतीजों अर्थात 1 ता 3 के पक्ष में विरास्तन नामांतकरण दर्ज करने बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ को दिनांक 10.02.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार सूरतगढ़ ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर विधिवत रूप से नोटिस जारी किये बिना सीधे ही लोकल अखबार राष्ट्रीय छवि में प्रकाशन क[illegible] बिना किसी [illegible] लिये अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 को साक्ष्य एवं सुनवाई का मौका दिये [illegible] पीठ पीछे सोहनलाल के प्राकृतिक वारिसों को अधिकारो से वंचित [illegible] दिया। उक्त तथाकथित वसीयत नोटेरी से सत्यापित नही है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 01 को फायदा देने के लिए अपने निर्णय में नोटेरी संगिस्या से प्रमाणित होना अंकित किया है। अपीलांट [illegible] द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत संपादित नहीं की गई। उ[illegible] तथाकथित वसीयत दिनांक [illegible].1992

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

को की है जबकि उक्त दिनांक को रकबा गैर खातेदारी थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 अनुसार गैर खातेदारी भूमि की वसीयत शून्य है। राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132 अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश दिनांक 03.03.2025 निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से वकील श्री राजवीर भादू हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 4/1, 4/4, 5/1, 5/2 की ओर से वकील श्री धनवीर हुन्दल हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। शेष रेस्पोडेंटगण को भेजे गये सम्मन विधिवत तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि थी जिनका जायज वारिस होने के नाते रकबा पर अपीलांट के हित निहित है तथा अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 4/1, 4/4, 5/1, 5/2 व रेस्पोडेंट संख्या 6 पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर अपील रकबा सोहनलाल के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड था। सोहनलाल का विधिक वारिस होने के नाते अपीलांट के प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार साबित है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील इंतकाल की जानकारी दिनांक 10.08.2025 को पटवारी हल्का से मिली। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना वकील रेस्पोडेंट संख्या 4/1, 4/4, 5/1, 5/2 व रेस्पोडेंट संख्या 6 पैरोकार राज ने उक्त प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिन्हे जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण अंकित किया है वह भी सन्तोषप्रद है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2023 पेज 120 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार खातेदार कृषक अपनी खातेदारी भूमि की ही वसीयत कर सकता है। जबकि हस्तगत प्रकरण की तथाकथित वसीयत दिनांक 20.08.1992 के समय उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में सोहनलाल के नाम से गैर खातेदारी दर्ज था। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी (10) 2003 पेज 544 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 अनुसार वसीयत को साबित करने हेतु वसीयत संपादन के समय जो साक्ष्य थे उनमें से एक साक्ष्य की गवाही आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के उक्त सभी सिद्धान्तों को दर किनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 4/1, 4/4, 5/[illegible] बहस वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया एवं अपील स्वीकार किये जा[illegible] आपत्ति जाहिर नहीं की।

रेस्पोडेंट संख्या 6 पैरोकार राज ने दौरान [illegible] किया कि जैर अपील निर्णय नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तथा अपी[illegible] सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही पारित किया गया है। [illegible] की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। प्रकरण में सोहनलाल द्वारा जैर अपील भूमि की 1/2 हिस्सा की वसीयत अपने पुत्रो अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 के नाम तथा 1/2 हिस्सा की वसीयत रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में सम्पादित वसीयत का नामांतरण दर्ज करने बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 बद्रीप्रसाद द्वारा दिनांक 11.02.2025 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ) सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन नहीं किया। पटवारी हल्का देईदासपुरा की रिपोर्ट दिनांक 14.02.2025 अनुसार मृतक वसीयत करने की तिथि को गैर खातेदार था। गैर खातेदार कृषक को अपनी भूमि की वसीयत करने के अधिकार अर्जित नहीं होते है जिससे वह अपनी भूमि की वसीयत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 ब्रदी प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए सोहनलाल के वारिसान को सुनवाई का नोटिस दिये बिना सीधे ही दैनिक सामाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सार्वजनिक सूचना की प्रति से जाहिर है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सोहनलाल के विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2025 व उसके आधार पर दर्ज नामांतरण निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सोहनलाल द्वारा संपादित वसीयत की वैद्यता की विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार जाँच कर नये सिरे से नामांतरण आदेश जारी करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner